न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 125/2014 **दायरा दिनांक : 23.06.2014**

उनवान

लटूरलाल आत्मज श्री प्रभुलाल जाति धोबी निवासी ग्राम गुरायता तहसील सांगोद जिला कोटा (राज.)

.... अपीलांट

बनाम

1– कस्तूरी बाई पत्नी श्री प्रभुलाल पुत्री नाथूलाल जाति धोबी (मृतक) जरिये कायम मुकामान–

1/1– कंवरलाल पुत्र प्रभुलाल जाति धोबी निवासी ग्राम जरगा तहसील खानपुर जिला झालावाड

1/2– घांसीबाई पुत्री प्रभुलाल जाति धोबी निवासी ग्राम जरगा तहसील खानपुर जिला झालावाड

1/3– प्रेमबाई पुत्री प्रभुलाल जाति धोबी निवासी ग्राम जरगा तहसील खानपुर जिला झालावाड

2– जमना बाई जोजे रघुनाथ पुत्री नाथूलाल जाति धोबी नि. बिशनखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड

3– बद्रीबाई पत्नी बाला पुत्री नाथूलाल जाति धोबी नि. बिशनखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड

4– कमला बाई पत्नी श्रवण पुत्री नाथूलाल जाति धोबी नि. बिशनखेडी तहसील खानपुर जिला झालावाड

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खानपुर जिला झालावाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री रमाकांत लोहिया एवं श्री प्रवीण कुमार पनवाड

अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री ए.के. जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक :02.01.2018

1— यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या — 403/2007 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.05.2014 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

2— अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट ने अपीलांट का खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 91, 92ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर यह कथन किया कि ग्राम चलेठ तहसील खानपुर में खाता संख्या नया 13 पुरानी 16 की आराजी खसरा नं. 47 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा स्थित है। आराजी वादीगण और प्रतिवादी नं. 1 के सयुंक्त खाते में दर्ज है। प्रतिवादी नं. 1 के पिता ने 60 वर्ष पूर्व अपना 1/2 हिस्सा वादीगण के पिता के पक्ष में छोड दिया और बालकिशन धोबी के गोद चला गया। आराजी पर प्रतिवादी का कभी कब्जा नहीं रहा है। वादीगण का अपने पिता के जमाने से 60 वर्षों से शांतिपूर्ण कब्जा चला आ रहा है। खातेदार बिरधीबाई व केसरबाई का देहांत हो चुका है, जिनके वारिस वादीगण है। अतः वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक वादीगण को घोषित किया जाये और प्रतिवादी का नाम विलोपित किया जाये। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 20—05—2014 को दावा वादी डिक्री किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

3— अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पिता प्रभुलाल को बालकिशन के यहां गोद जाना मानकर कानूनी त्रुटि की है। गोद के संबंध में कोई साक्ष्य पेश नहीं की है। निर्णय दिनांक 14—12—1982 की कोई इजराय रेस्पोडेंट ने नहीं करवाई है। 12 वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी है। नाथूलाल और प्रभुलाल दोनों सगे भाई थे। पिता की मृत्यु के बाद वादग्रस्त आराजी दोनों के नाम दर्ज की गई और प्रभुलाल की मृत्यु के बाद आराजी अपीलांट के नाम दर्ज की गई। गोद जाने से पूर्व जो अधिकार प्राप्त होते है वो गोद जाने से समाप्त नहीं होते है। आराजी पर प्रभुलाल को जन्म से ही अधिकार था। गोद के बाबत् कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

4— अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेंट गोद को साबित नहीं कर पाये है। 60 साल पहले गोद जाना बताते है और गवाह की उम्र 65 वर्ष है। यदि गोद जाने से पूर्व कोई संपत्ति प्राप्त हो जाती है तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार उसमें अधिकार समाप्त नहीं होते है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आरआरडी 1990 पृष्ठ 342 उद्धरत की।

6— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि सन् 1982 में लटूरलाल ने एक दावा हक घोषणा व विभाजन का किया था, जिसके निर्णय की प्रमाणित प्रति एक्जीविट पी—2 के रूप में पत्रावली में सलंग्न है, जिसके अनुसार दावा खारिज किया गया है। इसकी अपील भी सन् 1987 में खारिज हो चुकी है, जिसके निर्णय की प्रमाणित प्रति एक्जीविट पी—4 है। इतंकाल का अमलदरामल भी हो चुका है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

7— हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर नकल जमाबंदी संवत 2063 से 66 खाता संख्या 13 सलंग्न है जिसमें अपीलांट का 1/2 हिस्सा अंकित है। नकल निर्णय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा एक्जीविट पी—2 के रूप में सलंग्न है, जिसमें बिशनखेडी की आराजी व ग्राम चलेट की आराजी खसरा नं. 320 की 14 बीघा 5 बिस्वा भी विवादित है और इस दावे को खारिज किया गया है। इसकी अपील का निर्णय एक्जीविट पी—3 के रूप में पत्रावली सलंग्न है, जो खारिज की जा चुकी है। एक्जीविट पी—5 नकल जमाबंदी खाता संख्या 10 और एक्जीविट पी—6 मिलान क्षेत्रफल है, एक्जीविट पी—7 नकल जमाबंदी संवत 2055 से 58 है, इसके अलावा बयान जमना बाई पी.डब्ल्यू—1, भोलूलाल पी.डब्ल्यू—2 कराये गये है। प्रतिवादी की ओर से बयान लटूरलाल डी.डब्ल्यू—1, शिशपाल डी.डब्ल्यू—2 कराये गये है।

8— अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्व में उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के निर्णय एक्जीविट पी—2 के आधार पर प्रतिवादी के पिता प्रभुलाल का गोद जाना मानते हुए वादीगण का हक घोषणा का दावा डिक्री किया है। एक्जीविट पी—2 में दावा लटूरलाल के द्वारा वादीगण के खिलाफ किया गया था। इसमें वादग्रस्त आराजी ग्राम बिशनखेडी की खसरा नं. 55 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं. 118 रकबा 32 बीघा 10 बिस्वा कुल 45 बीघा 7 बिस्वा थी व ग्राम चलेट की खसरा नं. 320 की 14 बीघा 5 बिस्वा अंकित है। वर्तमान वाद में वादग्रस्त आराजी ग्राम चलेट की खसरा नं. 47 की 14 बीघा 9 बिस्वा है। पूर्व के दावे में वादी लटूरलाल ने ये कथन किया है कि सेटलमेंट ने सम्पूर्ण आराजी प्रतिवादी के खाते में दर्ज कर दी है, जबकि इसमें 1/2 हिस्सा वादी का है। वर्तमान दावे में वादीगण का यह कथन है कि ग्राम चलेट की वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 47 की 14 बीघा 9 बिस्वा में प्रतिवादी लटूरलाल का 1/2 हिस्सा दर्ज है। जो राजस्व रिकार्ड अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न है, उसमें नकल जमाबंदी एक्जीविट पी— 5 खाता संख्या 10 खसरा नं. 320 की 14 बीघा 9 बिस्वा आराजी पक्षकारान के सयुंक्त खाते में दर्ज है, इसमें लटूरलाल का 1/2 हिस्सा दर्ज है। एक्जीविट पी—6 मिलान क्षेत्रफल है, जिसमें साबिक खसरा नं. 320 का हाल खसरा नं. 47 दर्शाया गया है। नकल जमाबंदी एक्जीविट पी—7 के अनुसार भी हाल खसरा नं. 47 पक्षकारान के सयुंक्त खाते में दर्ज है, जबकि नकल निर्णय उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के अनुसार वादी लटूरलाल का हक घोषणा का दावा खारिज किया गया है। इस दावे में वादी ने ग्राम बिशनखेडी की आराजी के अलावा इस वादग्रस्त आराजी में भी 1/2 हिस्से की हक घोषणा की प्रार्थना की है। जब वादी का दावा एवं अपील खारिज हो चुकी है तो राजस्व रिकार्ड में 1/2 हिस्सा उनके खाते में किस आधार पर दर्ज किया गया है, यह जांच की विषय है। नकल जमाबंदी एक्जीविट पी—1 के अनुसार भी वादग्रस्त आराजी में लटूरलाल का 1/2 हिस्सा निहित है। पत्रावली में अपीलांट के द्वारा जो जवाब दावा पेश किया गया है, उसका अवलोकन किया गया। जवाब दावे में बिन्दू सख्या 6 में उनके द्वारा यह कथन किया गया है कि लटूरलाल बनाम बिरधीबाई का जो दावा पेश किया गया था वो बिशनखेडी की आराजी के लिए था, जबकि इस वाद में वर्णित आराजी चलेत की है, जबकि निर्णय एक्जीविट पी—2 में चलेत की आराजी का भी हवाला है। इन तथ्यों के आधार पर यह जांच किया जाना आवश्यक है कि पूर्व के दावे में चलेत की आराजी वादग्रस्त थी, अथवा नहीं और यदि चलेत की आराजी भी वादग्रस्त थी, तो उसमें राजस्व रिकार्ड में लटूरलाल का नाम किस आधार पर दर्ज किया गया।

9— दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु जो इस प्रकरण में विचारणीय है, वह यह है कि यदि एक्जीविट पी—2, 3 व 4 के आधार पर प्रभुलाल का गोद जाना मान भी लिया जाये तो भी यह जांच किया जाना आवश्यक है कि वादग्रस्त आराजी में उनको अधिकार गोद जाने से पूर्व प्राप्त हुए थे अथवा गोद जाने के बाद। क्योंकि यदि वादग्रस्त आराजी में प्रभुलाल को अधिकार गोद जाने से पूर्व प्राप्त हो जाते है तो वह अधिकार समाप्त नहीं हो सकते। अतः इन दोनों बिन्दुओ पर जांच हेतु हम इस प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना आवश्यक समझते है।

10— उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.05.2014 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि पैरा संख्या — 8 व 9 में किये गये विवेचन के आधार पर दोनों बिन्दुओं पर जांच कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पक्षकारान का पाबंद किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 19—02—2018 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा